इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2021—आषाढ़ 24, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022

क्रमांक एफ ए 3—05/2022/1/पांच (38) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हे प्ररूप जीएसटीआर—8 में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन वे उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित महिने के लिए उक्त विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहे थे, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अवधि के लिए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 'शून्य' अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि जिसके लिए ब्याज शून्य होगी
(1)	(2)	(3)
इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते है, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तारीख तक दिसंबर, 2020 महीने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नही कर सके थे लेकिन उन्होंने उक्त माह के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित कर दिया था, अर्थात् :— 1. 23AABCB3428P1CY 2. 23AADCD4946L1CT	दिसंबर, 2020	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तारीख से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तारीख तक

2. यह अधिसूचना दिनांक 7 जून, 2022 से प्रवृत्त मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2022

क्रमांक ए-3-05-2022-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक ए-3-05-2022-1-पांच (38), दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 15th July 2022

No. F A 3-05/2022/1/V (38) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 read with section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of interest per annum to be 'Nil', for the class of registered persons mentioned in column (1) of the Table given below, who were required to furnish the statement in **FORM GSTR-8**, but failed to furnish the said statement for the months mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table by the due date, for the period mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:–

TABLE

Class of registered persons	Months	Period for which interest is to be Nil
(1)	(2)	(3)
Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act, for the month of December, 2020, by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said month in the electronic cash ledger, namely :– 1. 23AABCB3428P1CY 2. 23AADCD4946L1CT	December, 2020	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 7th day of June, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022